न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 143/2018 (2018/00143) जिला–नागौर

पतासी देवी पत्नी श्री मेहराम जाति जाट निवासी जायल, तहसील जायल जिला नागौर।

———अपीलार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल, जिला नागौर।

—————प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, जायल दिनांक 23–05–2018
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 96/2016 बउनवान सरकार बनाम पतासी देवी

————

उपस्थित– 1. श्री भिंयाराम चौधरी अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 25–07–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तरमीम खारिज करवाने एवं रेकार्ड दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–05–2018 द्वारा अपील स्वीकार कर नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल ने तहसीलदार जायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवेचन किये बिना ही प्रत्यर्थी के कथनों के आधार पर तथा

राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शे का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि ग्राम जायल स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 2774 रकबा 1065 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा जो कि जिला कलक्टर नागौर के आदेश क्रमांक एफ 12(17)राजस्व/2016/1013–21 दिनांक 11–3–2016 के जरिये ग्राम जायल के खसरा नम्बर 2774 रकबा 1065 बीघा गैर मुमकिन मगरा में से 300 बीघा भूमि राजस्थान भू–राजस्व (औद्योगिम क्षैत्र आवंटन) नियम 1956 की धारा 92 के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु रीको के पक्ष में आरक्षित किये जाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आराजी अपीलार्थीया की पूर्व में मूल खातेदार के नाम जन सम्पर्क अभियान के तहत उपखण्ड अधिकारी जायल व तहसीलदार जायल ने मिसल नम्बर 964/63/14–5–1965 को नामान्तरकरण संख्या 956 से अहमद के नाम खातेदारी दर्ज हुई और अहमद दिनांक 06–10–1993 को फौत हो गया। जिससे उक्त खसरा नम्बर 2774/10 रकबा 20 बीघा मोहम्मद हुसैन, याकूब, सलीम हरून पिता अहमद व खातुन, खतीजा जुबैदा पुत्री अहमद कौम तेली साकिन देह खातेदार हाल सांजू के नामान्तरकरण संख्या 3969 से खातेदारी दर्ज हुई और उक्त आरजी खातेदारों द्वारा दिनांक 31–10–2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा ओम प्रकाश पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी कठोती को बेचान कर दी जिसका बेचान से नामान्तरकरण संख्या 5143 राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया। उक्त खातेदार के द्वारा खसरा नम्बर 2774 गैर मुमकिन मगरा में 2774/10 रकबा 20 बीघा का बेचान दिनांक 16–5–2016 को पतासी देवी पत्नी मेहराम जाति जाट सकिन देह खातेदार के नाम नामान्तरकरण संख्या 5652 के द्वारा खातेदारी हक से दर्ज कर दिया गया जो आज दिनांक तक उसी स्थान पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इन सभी तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार जायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मात्र अपीलार्थीया को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया है जो कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित होती है तो उसे सुधारा जा सकता है ना कि किसी प्रकार के नक्शे में किसी प्रकार की तरमीम नहीं की जा सकती है। एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत किसी भी नक्शे में तरमीम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती क्योंकि अपीलार्थीया भूमि आवंटन के बाद से ही लगातार काबिज काश्त है उनकी आराजी को ही आस–पास के व्यक्तियों से खरीद की गई है उसी अनुसार ही प्रत्यर्थी व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने बेचाननामे के आधार पर अपीलार्थीया के नाम खातेदारी में इन्द्राज की गई इसलिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में तो मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही संशोधित किया जा सकता है जिसमें नाम की त्रुटि हो उसको ही दुरूस्त किया जा सकता है ना कि किसी नक्शे की तरमीम को निरस्त कर दूसरे व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर अपीलार्थीया के खातेदारी एवं व्यक्तिगत हितो

एवं अधिकारों के विपरीत जाकर अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–05–2018 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि मौजा जायल क आराजी खसरा नम्बर 2774 रकबा 1065 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा में से नवीन औद्योगिक क्षैत्र विकसित करने हेतु इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) के पक्ष में 300 बीघा भूमि जिला कलक्टर नागौर के आदेश क्रमांक 12 (17) राजस्व/2016/1013–21 दिनांक 11–3–2016 से आरक्षित की गई थी। उक्त आरक्षित किये गये प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित रकबे का जो नक्शा प्रेषित किया गया था उसमें पहले से अन्य किसी की तरमीम नहीं थी। रीको के लिए आरक्षित भूमि कर दिये जाने के पश्चात इसके लिए प्रस्तावित भूमि में अन्य खातेदार अपीलार्थीया की तरमीम बाद में की गई है जो गलत होने से खारिज की जाकर नक्शा ट्रेस में दुरूस्त करने के आदेश दिनांक 23–5–2018 पारित किये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर, नागौर द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 2774 रकबा 1065 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगर में से 300 बीघा भूमि राजस्थान भू–राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम 1956 की धारा 92 के तहत रीको के पक्ष मे आरक्षित की गई थी। पटवारी हलका ने भू–अभिलेख निरीक्षक जायल को दिनाक 30–9–2016 के दिये बयानों में उल्लेख किया है कि ग्राम जायल के खसरा नम्बर 2774/10 रकबा 20 बीघा जो वर्तमान में पतासी देवी पत्नी मेहराम जाति जाट निवासी जायल के नाम खातेदारी मे दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर की नक्शा लट्ठा में तरमीम नहीं होने के कारण मौके पर कब्जे के आधार पर पटवारी हलका द्वारा मार्च 2016 में नक्शा लट्ठा में तरमीम कर दी गई। उक्त कब्जे की 91 की रिपोर्ट अतिक्रमण का प्रकरण तहसीलदार जायल के पास विचाराधीन था व अतिक्रमण हटाने का फैसला पूर्व में हो चुका था इसलिए जानकारी पटवारी हलका को नहीं हो सकी। उक्त भूमि खसरा नम्बर 2774 गै0मु0मगरा में से 300 बीघा भूमि रीको औद्योगिक क्षैत्र आरक्षित हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर नागौर को भेजा गया था। उस समय नक्शा लट्ठा में खसरा नम्बर 2774/10 की तरमीम का इन्द्राज नहीं था जिससे स्पष्ट है कि इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लि0 की प्रस्तावित भूमि में तरमीम की गलत कार्यवाही की गई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्रामवासी जायल द्वारा उपखण्ड अधिकारी जायल को ग्राम जायल के खसरा नम्बर 2774/10 की गलत तरमीम को निरस्त करने की शिकायत दिनांक 12–7–2016 को की गई थी जिसका समाचार पत्र में भी प्रकाशन हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण में जब अतिक्रमण का मामला तहसीलदार जायल के पास विचाराधीन था जिसमें अतिक्रमण हटाने का फैसला दिया जा चुका था तो पटवारी हल्का द्वारा किस आदेश से नक्शा लट्ठा में तरमीम की गई। जबकि जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 11–3–2016 को मौजा जायल की आराजी खसरा नम्बर 2774 रकबा 1065 बीघा गैर मुमकिर मगरा में से नवीन औद्योगिक क्षैत्र विकसित करने हेतु रीको के पक्ष में 300 बीघा भूमि आरक्षित की गई थी तथा मार्च 2016 में ही पटवारी हल्का द्वारा ग्राम जायल के खसरा नम्बर 2774/10 रकबा 20 बीघा लट्ठ नक्शा में जो लाल स्याही से तरमीम की गई है जो बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के की गई जो नियम विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा नक्शा ट्रेस में शुद्धिकरण का जो आदेश दिनांक 23–05–2018 पारित किया है विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीया की यह सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–05–2018 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 96/2016 सरकार बनाम पतासी देवी विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर